राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 614वीं बैठक दिनांक 23/12/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :--

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
- 6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- 7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 8. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 8025/2020 M/s MOIL Limited, Shri Kishore Chandraker, Senior DGM, MOIL Bhavan, 1A, Katol Road, Dist. Nagpur, Mah. – 440013. Prior Environment Clearance for Expansion of Manganere Ore Mine in an area of 69.581 ha. (10,000 to 1,20,000 Tonne per annum) Khasra No. Lugma: 61, 58/1, 58/2, 58/3, 60/1, 60/2, 60,3, 62/02, 62/9, 56/1, 56/2, P.O.5, P.O.64, 65/1 to 65/6, 66P.O., 68, 49/1 to 49/8 P.O.57, 42/1, 42/2, 67/1 to 67/6, 43/1 to 43/4, 45/1 P.O.45/2, P.P.46, 92/1, 92/2, 93, 94, 95, P.O.98/1 to 98/9 Ukwa: P.O.5, 6/2, 7, 9, 10, 12 Tehsil - Paraswada, Dist. Balaghat, (MP).

This is case of Expansion of LUGMA-UKWA MANGANESE ORE MINING PROJECT". The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Village - Lugma - Ukwa, Tehsil - Paraswada, Dist. Balaghat, (MP) 69.581 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in $473^{\rm rd}$ SEAC dated 07/01/2021 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded by SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

The EIA was presented in 606th SEAC dated 14/11/2021 Env. Consultant Shri G. k. Mishra from M/s. GMEC International Pvt ltd. Jaipur and their representatives on behalf of PP Shri C.B. Atulkar, Technical Director (Mine), MOIL, Nagpur.

In the begning of presentation, it was observed by the committee that accreditation of the Environmental consultancy firm certificate M/s. GMEC International Pvt Ltd. Jaipur has expired on 07.11.2022 for which consultant submitted that they have applied for its renewal and same is yet not renewed. Committee deliberated that at the time of presentation the environmental consultancy firm does not have valid accreditation at the time of appearing before the SEAC and thus can not make presentation in accordance with the MoEF&CC OM dated 03.03.2016 which reads as follows:

".....shall be allwed to prepare the EIA & EMP of a project in that sector and category and to appear before the concern Expert Appraisal Committee (EAC) or the stated Expert Appraisal Committee."

Committee after deliberations decided that this case shall be further considered after producing valid accreditation certificate from NABET/QCI through on line Portal PARIVESH and instructed consultant to submit the same within 30 days time for further consideration of the case.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी दिनांक 07/12/22 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 23/12/22 को समिति के समक्ष रखा गया ।

Vide letter dated 07/12/2022 Env. Consultant M/s. GMEC International Pvt ltd. Jaipur submitted the extension of their validity of extension from NABET/QC on line on PARIVESH Portal. Hence, this case is scheduled in this agenda.

The EIA was presented by Env. Consultant Shri P.M. Jain from M/s. GMEC International Pvt ltd. Jaipur and their representatives on behalf of PP Shri MM Obdulla, Technical Director (Production), MOIL, Nagpur, (Online) wherein stated that vide NABET/QC letter no. 2596 dated 02.12.2022 informed that extension of validity of acrediation of M/s. GMEC International Pvt ltd. Jaipur has been extended till 01.03.2023. PP submitted that Mine Lease is situated near village – Lugma & Ukwa, Tehsil – Paraswara, District-Balaghat, Madhya Pradesh. The existing project is for mining of Manganese Ore by underground method. Total Lease Area - 69.581 hec., the proposed capacity for expansion of underground production is from 10,000 MTPA to 1,20,000 MTPA. Initial Lease Grant was upto 30.09.1977 then 1st Renewal – 20 Years (15.09.1985 to 14.09.2005) and 2nd Renewal - 20 Years (15.09.2005 to 14.09.2025) – vide no. F 3-25/10/12/2 dated: 27/09/2010 of Government of Madhya Pradesh, Department of Mineral Resources Bhopal. There is no forest Land within Lease area and no National Park, Wildlife Sanctuary, Biosphere reserve, Tiger Reserve, Elephant Reserve are present in the 10 km periphery of

the study area. There are no inhabitants in and around the mine lease area. The Consent to Operate is granted by M.P. Pollution Control Board vide no. AWH-48925 which is valid up 30/04/2023. Moreover. NOC from **CGWA** obtained vide letter CGWA/NOC/MIN/ORIG/2021/13514 which is valid from 27/10/2021 & Valid up to 26/10/2023. PP further submitted that, MoEF&CC has accorded Environmental Clearance for production capacity of 10,000 MTPA vide no. J-11015/437/2008-IA.II(M) dated 22/12/2008 under EIA Notification, 2006. The Certified EC compliance has been issued by MoEF&CC vide File No. 3-3/2009 (Env)/089 dated 11.05.2022 and there is no litigation pending against the project/project proponent.

Project Chronology

S. No.	Date	Letter No.	Subject Brief
1	22/12/2008	J-11015/437/2008- IA.II(M)	Environmental Clearance for 10,000 TPA from Underground.
2	28.02.2020		Modification of Review of Mining Plan and Progressive Mine Closure Plan Approved by IBM, Jabalpur.
3	04.08.2020	Proposal No SIA/MP/MIN/40119/2019	ToR Submission
4	21.12.2020	File No.8025/2020	Issuance of Standard ToR
5	07.01.2021	SEAC – 473 rd Meeting	Issuance of Additional ToR Points .
6	02.12.2021	Public Hearing	Public Hearing conducted on 02.12.2021 at Project site.

PP further submitted that comprehensive hydro-geological study has been conducted and CHGR submitted to CGWA Aquifer detail and ground water intersection are detailed in CHGR. No mine seepage water is discharged to outside of mine lease area. Mine water is used for mining operations, hydraulic sand stowing, dust suppression, green belt development and plantation purposes. Mine discharged water is pumped out and recycled for various operations through sedimentation tank. Underground ROM is transported to surface through vertical shaft with mine tubs. From vertical shaft to ore sorting area, transportation is done by tippers of 25 ton capacity for 0.8 km concreted road within mine lease. Cleaned ore is dispatched through 25 tonner dumper to various ferro-alloy plants through internal concrete road of 0.45 km and thereafter through SH-26.

During presentation PP submitted that they have obtained MoEF&CC compliance repot of earlier EC conditions vide File No. 3-3/2009 (Env)/ 089 dated 11.05.2022 wherein no Ncs

are reported. In earlier EC it was stipulated that 10,000 trees shall be planted within lease area through Van Vihkas Nigam for which no documentary evidences were provided by PP during presentation. Moreover, PP was unable to explained ground water impacts in the surrounding areas though this was one of the TOR point (as GW is proposed to be intersected and for which Hydro-geological studies was conducted). Committee after presentation and deliberation asked PP to submit response on following issues such as:

- 1. Carbon footprint analysis due to increased production capacity wrt to number of vehicles, pumps etc for enhanced production.
- 2. Mark evacuation route on Google map from vertical shaft to the storage yard/ore sorting area.
- 3. Details of ETP upgradation status as submitted in compliance report.
- 4. Credible proof to justify that 10,000 sapligs has been planted by "Van Vikas Nigam" alongwith scheme of plantation submitted by Van Vikas Nigam and completion report of Divisional Manager, Van Vikas Nigam.
- 5. Re-assess the transportation load for additional production as only 12 trips has been proposed in the EIA report which seems to be in-adequte.
- 6. Please justify why in the EIA report's table no. 3.9 analysis of Manganese was not reported in the surface water.
- 7. Provide details about impacts of dewatering on ground water level of surrounding areas due to this mine.
- 2. 9471/2020 Office of the Executive Engineer, Water Resources Division Chhindwara (MP)-480001. Prior Environment Clearance for Ramghat Dam (Chhindwara Irrigation Complex Scheme), Ramghat Dam is proposed to be constructed in the Kanhan Sub basin across Kanhan River, Chhindwara District to Irrigate 65,000 Ha CCA in Sausar and Pandurna tehsils of Chhindwara District, Madhya Pradesh. Category: 1(c) River Valley Project. Env. Con. M/s. R.S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd., Gurgaon.

This is a case of Prior Environment Clearance for Ramghat Dam (Chhindwara Irrigation Complex Scheme), which is proposed to be constructed in the Kanhan Sub basin across Kanhan River in Chhindwara District to Irrigate 65,000 Ha CCA in Sausar and Pandurna tehsils of Chhindwara District, involving 65,000 ha. of culturable command area (CCA) falls under category "B" and it has been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA. The application for EC was forwarded by SEIAA to SEAC on-line for scoping so as to determine TOR to carry out EIA study along with to prepare EMP.

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon along with PP's Ms. Kumkum Kaurav Patel Executive Engineer from Water Resources Department, Distt. Baitul. PP submitted that this Project involves forest land of approx. 1050.0 Ha. thus diversion of 1050 ha. forest area is proposed and F.C. clearance shall be obtained be submitted along with EIA report by PP. 03 villages namely Chhundboh, Jobani and Khapa of sausar Tehsil are falling under submergence hence, issue of R&R shall be discussed in the EIA report with proper provisions issued by various State /Central Government orders/ notifications etc..

Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

- 1. Project involves forest land of approx. 1050.0 Ha., thus FC stage to be clarified with supporting documents alongwith catchment area improvement and natural drainage protection plan shall be discussed in the EIA report.
- 2. Study and estimate economical & wild life value of the forest area involved in this project which shall include tangible & intangible values in quantitative terms and same shall be discussed in the EIA report.
- 3. In EIA report details about existing and proposed National Parks and their wild life management plan shall be discussed with bifurcation of RF and PF details (if any).
- 4. The private land of 03 villages Chhundboh, Jobani and Khapa of sausar Tehsil are falling under submergence hence, if any issue involved to temporary R&R, shall be discussed in the EIA report with proper provisions issued by various State /Central Government orders/ notifications etc..
- 5. Details of temporary or permanent R&R (if any) shall be discussed in the EIA report.
- 6. A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.
- 7. Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report (if any).
- 8. Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.
- 9. Management plan for dug-out material generated during construction of dam / structures shall be discussed in the EIA report.
- 10. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 11. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.

- 12. EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.
- 13. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.
- 3. <u>Case No 9376/2022 M/s Khushi Stone Crusher, Prop. Smt. Charu Yadav W/o Shri Manoj Yadav, H.No. 02, Sneh Nagar Colony, Inore Road, Dist. Khandwa, MP 481776, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.60 ha. (28500 Cum per annum) (Khasra No. 748, 749), Village Nahalda, Tehsil Khandwa, Dist. Khandwa (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 748, 749), Village - Nahalda, Tehsil - Khandwa, Dist. Khandwa (MP) 4.60 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती चारू यादव (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 781 दिनांक 02/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है । इस खदान का कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 20 मीटर तथा 40 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़, दिक्षण दिशा में 690 मीटर पर आबादी, दिक्षण पिश्चम दिशा में 570 मीटर पर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, पूर्व में लगभग 156.00 मीटर दूरी पर बरसाती नाला तथा 01 केशर एवं शेड स्थापित हैं, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । इसी प्रकार खदान के पिश्चम भाग में पिट है, जिसके संदर्भ में पिरयोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह बहुत पुराना पिट है तथा हमको खदान इसी स्थिति में आवंटित हुई है । पिरयोजना प्रस्तावक अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित नहीं है और न ही इस खदान का विवरण है । अतः पिरयोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण हो । उपरोक्त विवरण के पिरप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की सिमिति अनुशंसा करती है :—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 20 मीटर तथा 40 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़, दक्षिण दिशा में 690 मीटर पर आबादी, दक्षिण पश्चिम दिशा में 570 मीटर पर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, पूर्व

- में लगभग 156.00 मीटर दूरी पर बरसाती नाला तथा 01 क्रेशर एवं शेड स्थापित हैं, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
- 2. इसी प्रकार खदान के पश्चिम भाग में पिट है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह बहुत पुराना पिट है तथा हमको खदान इसी स्थिति में आवंटित हुई है। अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जावें।
- 3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
- 7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 9. नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान् का विवरण दर्ज हो ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 4. Case No 9480/2022 M/s Maa Narmada Aggregates Pvt.Ltd., Partner Shri Ajay Modi R/o U.G. 47, 18 South Tukoganj, Trade Center, District Indore (MP)-451010, Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone 15000 Cum per annum and M-sand 60000 Cum per annum) (Khasra No. 2/2), Village Rawad, Tehsil Depalpur, Dist. Indore (MP)

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2/2), Village - Rawad, Tehsil - Depalpur, Dist. Indore (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अजय मोदी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2474 दिनांक 22/11/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान

स्वीकृत / संचालित होने की जानकारी दी गई है । इस खदान का कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 200 मीटर तथा पूर्व दिशा में 550 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित नहीं है और न ही इस खदान का विवरण दर्ज है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :—

- 1. खदान के उत्तर दिशा में 200 मीटर तथा पूर्व दिशा में 550 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
- 2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 3. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. चूँिक आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान् का विवरण दर्ज हो ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 9. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें।
- 10. M-Sand Plant हेतु प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।

5. Case No 9483/2022 Smt. Kali Bai, Owner R/o 62, Sarnath Colony, Bijalpur District Indore (MP), Prior Environment Clearance for Murum Quarry in an area of 8.322 ha. (80000 Cum per annum) (Khasra No. 237), Village - Malakhedi, Tehsil - Sawer, Dist. Indore (MP)

This is case of Murum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 237), Village - Malakhedi, Tehsil - Sawer, Dist. Indore (MP) 8.322 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/12/22 को परियोजना प्रस्तावक सुश्री काली बाई (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1371 दिनांक 13/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है। इस खदान का कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 100 मीटर तथा दक्षिण—पश्चिम दिशा में 470 मीटर पर आबादी, पश्चिम दिशा में 85 मीटर पर कच्चा रोड़, पूर्व दिशा में आवंटित खनन् क्षेत्र से लगा हुआ कच्चा रोड़ अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । आवंदित स्थल का खसरा नं. 237 है जबिक परियोजना प्रस्तावक द्वारा 277 अपलोड किया गया है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ वास्तविक पी—2 फार्म/खसरा नं. 237 प्रस्तुत करें । आवंटित क्षेत्र का उत्तरी भाग खुदा हुआ है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पुराना पिट है तथा इस पिट को माइनिंग प्लान मे दर्शाया गया है। आवंदित क्षेत्र के अंदर पश्चिम दिशा में शमशान घाट के संरक्षण योजना प्रस्तुत की जावें । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मुक्तम का खनन् होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं । परियोजना प्रस्तावक अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित नहीं है और न ही इस खदान का विवरण है । अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :—

- 1. उत्तर दिशा में 100 मीटर तथा दक्षिण—पश्चिम दिशा में 470 मीटर पर आबादी, पश्चिम दिशा में 85 मीटर पर कच्चा रोड़, पूर्व दिशा में आवंटित खनन् क्षेत्र से लगा हुआ कच्चा रोड़ अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
- 2. आवेदित क्षेत्र के अंदर पश्चिम दिशा में स्थित शमशान घाट के संरक्षण योजना प्रस्तुत की जावें ।

- 3. आवेदित स्थल का खसरा नं. 237 है जबिक परियोजना प्रस्तावक द्वारा 277 अपलोड किया गया है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ वास्तविक पी—2 फार्म / खसरा नं. 237 प्रस्तुत करें ।
- 4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 9. नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान् का विवरण दर्ज हो ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 10. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. <u>Case No 9489/2022 M/s Govind Coal Pvt. Ltd., Director, Shri Mukesh Khurana, R/o 217/1 Dubey Colony, Rafi Ahmad Kidwai Ward 15, Tehsil & District Katni (MP), Prior Environment Clearance for Gubradhari Dolomite Deposit in an area of 4.840 ha. (49996 MT per annum) (Khasra No. 521), Village Gubradhari, Tehsil Mudwara, Dist. Katni (MP)</u>

This is case of Dolomite Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 521), Village - Gubradhari, Tehsil - Mudwara, Dist. Katni (MP) 4.840 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23 / 12 / 22 को परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश खुराना (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2325 दिनांक 17 / 10 / 2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर

की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत / संचालित होने की जानकारी दी गई है । इस खदान का कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वे किसी कारणवश अपने इस प्रकरण को वापस लेना चाहते है जिस बावत् उन्होने लिखित में अनुरोध पत्र क्रमांक दिनांक................. के माध्यम से किया है तथा पत्र की प्रति प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान किये गये निवेदन को मान्य करते हुये उक्त प्रकरण डी—लिस्ट करने की कार्यवाही हेतु किये जाने हेतु सिया भेजने का निर्णय लिया।

7. Case No 9492/2022 Smt Kiran Solia, W/o Shri Maan Singh Solia, J-723, Darpan Colony, Thatipur, Gwalior (MP)-474011 Prior Environment Clearance for Sumerpada Stone Mine in an area of 1.040 ha. (57000 Cum per annum) (Khasra No. 169), Village - Sumerpada, Tehsil - Murar, Dist. Gwalior (MP)

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 169), Village - Sumerpada, Tehsil - Murar, Dist. Gwalior (MP) 1.040 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती किरण सोलिया (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 12029 दिनांक 22/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है। इस खदान का कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान दो भागों में आवंटित की गई है जो पहाड़ पर स्थित है तथा अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिक उत्पादन क्षमता 57,000 घन मीटर प्रति वर्ष है अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट में यह स्पष्ट करे की दो भागों में आवंटित खनन् क्षेत्र में कितनी गहराई तक खनन् कार्य किया जायेगा तथा पिट वॉटम में कितनी जगह खनन् हेतु उपलब्ध होगी । आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर दिशा में स्थित भाग से होकर कच्चा रोड़ निकल रहा है तथा इसके उत्तर दिशा में 15 मीटर पर कोई सिविल स्ट्रक्चर/मकान/स्कूल दिख रहे है अतः इसकी संरक्षण योजना तथा इनकी वास्तविक स्थित मय फोटोग्राफ के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 435—500 मीटर में आबादी, पूर्वी दिशा में 660—750 मीटर पर तालाब तथा पश्चिम दिशा में 390—395 मीटर पर कच्चा रोड़ है अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण—पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र

में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड जानकारी अनुसार इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—62 के सरल क्रमांक—02 पर दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान दो भागों में आवंटित की गई है जो पहाड़ पर स्थित है तथा अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिक उत्पादन क्षमता 57,000 घन मीटर प्रति वर्ष है अतः परियोजना प्रस्तावक ई. आई.ए. रिपोर्ट में यह स्पष्ट करे की दो भागों में आवंटित खनन् क्षेत्र में कितनी गहराई तक खनन् कार्य किया जायेगा तथा पिट वॉटम में कितनी जगह खनन् हेतु उपलब्ध होगी ।
- 2. आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर दिशा में स्थित भाग से होकर कच्चा रोड़ निकल रहा है तथा इसके उत्तर दिशा में 15 मीटर पर कोई सिविल स्ट्रक्चर/मकान/स्कूल दिख रहे है अतः इसकी संरक्षण योजना तथा इनकी वास्तविक स्थित मय फोटोग्राफ के ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
- 3. आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 435—500 मीटर में आबादी, पूर्वी दिशा में 660—750 मीटर पर तालाब तथा पश्चिम दिशा में 390—395 मीटर पर कच्चा रोड़ है अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
- प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पिश्चम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सिहत ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- क्र्विक आंविटत स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खिनज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
- 9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तृत की जाये।
- 10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

- 11. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें।
- 8. Case No 9481/2022 Shri Pankaj Patidar, Lessee R/o 465, Ward no. 07, Gandhi marg, bus Stand, District Barwani (MP)-451556, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.950 ha. (25080 Cum per annum) (Khasra No. 161), Village Palasia, Tehsil Anjad, Dist. Barwani (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 161), Village - Palasia, Tehsil - Anjad, Dist. Barwani (MP) 1.950 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज पाटीदार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र कमांक 699 दिनांक 28/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 4.950 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खनन् पहाड़ पर स्थित है एवं खदान के पूर्व एवं उत्तर दिशा में 185 मीटर पर नहर है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नहर के सरंक्षण हेतु प्रस्तुतीकरण में संलग्न सरफेस मेप में 15 मीटर का सेट वेक पूर्व एवं उत्तर दिशा में प्रस्तावित किया गया है साथ ही गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। आवंटित खनन् क्षेत्र के बीच से पूर्व दिशा एवं पश्चिम दिशा की ओर सरफेस ड्रेन निकल रहे है जिसमें संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक के माध्यम से चेनेलाईज किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—40 के सरल क्रमांक—6 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 25080 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.63 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 4.02 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम पलासिया के ऑगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों के बैठने के लिए 8 टेबल-कुर्सी	70,000 / —
तथा बच्चों के खेलने के लिए खिलोनों का वितरण किया जायेगा।	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2340 वृक्षों का वृक्षारोपण :--

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, जगंल जलेबी, कस्टार, चिरौल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	600
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर तक	जगंल जलेबी, कस्टार, सेमल, चिरौल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	200
3	ग्राम पलासिया के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	मुनगा, अमरूद, बेल, इमली, आंवला, कटहल, जामुन, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	1520
4.	शासकीय विद्यालय पलासिया, में	कदंब,अमलतास,अशोक, मौलश्री, पुत्ररंजीवा, गुलमोहर इत्यादि।	20
		कुल	2340

9. <u>Case No 9403/2022 Shri Ashok Ahirwar, Owner, Hanuman Mandir sa Samna, Tilli Ward, Sagar, Tehsil- Sagar, Dist. Sagar, MP - 470001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10260 Cum per annum) (Khasra No. 93), Village - Majhguwa Ahir, Tehsil - Sagar, Dist. Sagar (MP)</u>

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 93), Village - Majhguwa Ahir, Tehsil - Sagar, Dist. Sagar (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

पूर्व में यह प्रकरण सेक की 606वी बैठक दिनांक 14/11/22 में प्रस्तुत हुआ था जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक अहिरवार, (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा.) लि0. नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 08/10/2022 अनुसार

प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत / संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 5.00 हे. होने के कारण प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि अनुमोदित खनन् योजना में उल्लेखित अक्षांश—देशांश का अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश—देशांश से मिलान नहीं हो रहा है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी से स्थिति स्पष्ट कराते हुए प्रस्तावित खदान के वास्तविक अक्षांश—देशांश संबंधी जानकारी 15 दिवस में प्राप्त करें।

परियोजना प्रस्तावक ने दिनांक 02 / 12 / 22 को आन लाईन कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) जिला सागर का पत्र क्रमांक 1984 दिनांक 21 / 11 / 2022 अपलोड किया ।

आज दिनांक 23/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक अहिरवार, (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए जिसमें परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) जिला सागर ने पत्र कमांक 1984 दिनांक 21/11/2022 के माध्यम से सूचित किया है कि डी.एस.आर. एवं खनन् योजना में आक्षांश व देशांस भिन्न है तथा कार्यालयीन अभिलेख अनुसार प्रस्तुत खनन् योजना के आक्षांस एवं देशांस सही पाये गये है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान पहाड़ पर आवांटित है जिसके पूर्व दिशा में 135 मीटर पर आवादी है जिस कारण पूर्व दिशा में 70 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में दिया गया है तथा 160 मीटर पर उत्तर पश्चिम दिशा में एक प्राकृतिक नाला स्थित है तथा लीज एरिया मे स्थित 01 पेड़ को काटा जाना प्रस्तावित है जिसके एवज में 10 पेड़ अतिरिक्त लगाये जावेंगे। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान का दक्षिण भाग कुछ खुदा हुआ दिख रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान हमको पूर्व में 02/11/12 से 01/11/22 तक स्वीकृत थी जिसमें खनन् कार्य एक से दो वर्ष किया गया था तथा उसके पश्चात् परिवारिक समस्यों के कारण खदान बंद रही जिसका उल्लेख माईन प्लान में किया गया है मेरे द्वारा पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नही की गई थी इसके पश्चात् खदान का नवकरण कराया गया है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—83 के सरल क्रमांक—91 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 10,260 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.01 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.19 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
मझगुवा अहीर गॉव के आंगनवाड़ी में सुरक्षा दिवार और रिचार्ज पिट के साथ एक हैंडपंप की स्थापना एवं एक झूला एवं एक फिसलपट्टी का नर्माण कराया जाएगा।	1,00,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1200
		कुल	2400

10. Case No 9479/2022 Shri Tosif khan, Lessee, R/o Village Balsamund, Tehsil Kasrawad, District Khargone (MP)-451228, Prior Environment Clearance for Murum Quarry in an area of 2.00 ha. (5000 Cum per annum) (Khasra No. 232), Village - Balsamund, Tehsil - Kasrawad, Dist. Khargone (MP)

This is case of Murum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 232), Village - Balsamund, Tehsil - Kasrawad, Dist. Khargone (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री तौफिक खान (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 8326 दिनांक 23/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान पहाड़ पर आवंटित है जिसके दक्षिण दिशा में 360 मीटर पर नहर, दक्षिण—पूर्व दिशा में 230 तथा उत्तर दिशा में 100 मीटर पर कच्चा रोड़ एवं उत्तर—पश्चिम दिशा में 160 मीटर पर आबादी है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् मुरूम का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के पत्र क्रमांक 8918 दिनांक 18/11/22 के द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित हो चुकी है । उक्त प्रकरण में सैद्धांतिक मंजूरी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने के पश्चात् जारी हुई है, जिससे की उक्त मुरूम उत्खिनपट्टा को डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है । उक्त प्रकरण में संपूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरांत उक्त उत्खिनपट्टा को आगामी डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर जिया जावेगा । सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से सिमिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम 5000 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.59 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.60 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.45 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
बालसमुंद गांव के प्राथमिक स्वास्थय केंद्र में मेडिकल बेड दिए जायेंगे। (12,000 X 2)	24,000
बालसमुंद गांव के प्राथमिक स्वास्थय केंद्र में वेटिंग चेयर 4 सीटर $(10500 ext{ x } 1)$ दिए जायेंगे	21,000
योग	45,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू आदि।	500
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	200
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	नीम, पीपल, आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, मुनगा , कटहल, आदि	1700
		कुल	2400

11. Case No 9482/2022 Smt. Sunita Rawat W/o Shri Vishram Rawat R/o Village Damejar, Tehsil Kailaras, District Morena (MP)-476001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 11, 1302 Min-2, 1303, 1308), Village - Tiktoli Dumdar, Tehsil - Joura, Dist. Morena (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 11, 1302 Min-2, 1303, 1308), Village - Tiktoli Dumdar, Tehsil - Joura, Dist. Morena (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुनीता रावत (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 975 दिनांक 07/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर नदी, उत्तर दिशा में 240 मी. पर आबादी एंव पूर्व में 170 मी. पर मंदिर स्थित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा एंव ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—23 के सरल क्रमांक—78 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 10,000 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 9.72 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.77 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
• परसोटा गांव के प्राथमिक स्वास्थय केंद्र में मेडिकल बेड दिए जायेंगे।) 12,000 X 4)	48,000
• परसोटा गांव के प्राथमिक स्वास्थय केंद्र में वेटिंग चेयर 6 सीटर (12000 x 1) दिए जायेंगे	12000
कुल :	योग 60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :--

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, पीपल, करंज, सीताफल, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	420
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर तक	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	300
3	अरेनिया बाबा का मंदिर परिसरवाले पौधे लगाए जायेंगे	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	300
4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	1380
		कुल	2400

12. Case No 9484/2022 Shri Sunil Shrivastava, R/o LIG-2, 296 in front of Hanuman Mandir, Kitiyani Colony, District Mandsaur (MP)-458001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (25000 Cum per annum) (Khasra No. 113), Village - Ramana, Tehsil - Barwaha, Dist. Khargone (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 113), Village - Ramana, Tehsil - Barwaha, Dist. Khargone (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील श्रीवास्तव (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 8765 दिनांक 02/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 05 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रोड़ है तथा इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने 05

मी. का सेटबेक नॉनमाइनिंग झोन दर्शाते हुये प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया है एंव साथ ही उत्तर दिशा में प्राकृतिक नाला 90 मी. की दूरी पर स्थित है। खदान क्षेत्र के अंदर 05 पेड़ लगे है जिन्हे कि परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इन्हें नहीं काटा जावेगा। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन 8766 दिनांक 02/11/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान में जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित हो चुकी है। उक्त प्रकरण में सैद्धांतिक मंजूरी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने के पश्चात् जारी हुई है, जिससे की उक्त पत्थर गिट्टी क्रेशर उत्खनिपट्टा को डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में संपूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरांत उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के पिरप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 25,000 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 8.48 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 2.45 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम रमन्ना के शासकीय प्राथमिक शाला कि मरम्मत एवं पुताई की जावेगी एवं उक्त शाला	60,000
में विद्यार्थियों के लिए 20 बेंच डेस्क, 2 कुर्सियां एवं 2 टेबल उपलब्ध करवाए जावेंगे ।	

 निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— जंगल जलेबी, चिरोल, नीम, खमेर, सीताफल, कैस्टर, सिस्सू , पीपल, करंज आदि।	300
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू, खमेर आदि।	200

3	दूसरे वर्ष में ग्राम रामाना के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल ,आवला करंज आदि।	60
4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— मुनगा, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	500
5	शमशान घाट	नीम का वृक्षारोपण	140
		कुल	1200

13. <u>Case No 9488/2022 Smt. Kulsum Nibran, Lessee, R/o Village Raipur, Tehsil Khalwa, District Khandwa (MP), Prior Environment Clearance for Soil Quarry in an area of 1.390 ha. (2000 Cum per annum) (Khasra No. 68), Village - Raipur, Tehsil - Khalwa, Dist. Khandwa (MP)</u>

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 68), Village - Raipur, Tehsil - Khalwa, Dist. Khandwa (MP) 1.390 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कुसुम निवरान (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 920 दिनांक 09/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के दक्षिण दिशा में 415 मीटर पर आबादी, दक्षिण—पश्चिम दिशा में 16 मीटर पर एक कच्चा रोड़, एंव दक्षिण दिशा में 160 मीटर एंव 30 मी. पर प्राकृतिक नाला है तथा इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने 20 मी. का सेटबेक नॉनमाइनिंग झोन दर्शाते हुये प्रस्तुतीकरण में दर्शाया गया है । खदान क्षेत्र के अंदर 02 पेड़ लगे है जिन्हे कि परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इन्हे नही काटा जावेगा तथा चिमनी लीज क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित है, साथ ही स्वाइल खनन कार्य 02 मी. की गहराई तक किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के तालिका संख्या—9 के सरल कमांक—4 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्वाईल — 2000 मी³ प्रति वर्ष ।

- 2- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 4.59 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.28 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
2 व्हील चेयर्स गांव के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र मै उपलब्ध कराई जाएँगी ।	20,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1680 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— <i>आम खमेर, पीपल, चिरोल,</i> नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, करंज आदि।	400
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— पीपल, करंज, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	100
3	ग्राम रायपुर के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	जैसे:— पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, मुनगा, कटहल करंज, आवला आदि।	50
4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— मुनगा, आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन आदि।	1130
		कुल	1680

14. <u>Case No 9474/2022 M/s Prakashdeep Minerals partner Shri Jairaj Singh R/o LIG-3/27/306, Nehru Nagar, District Rewa (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.820 ha. (31946 Cum per annum) (Khasra No. 6/1, 13/1), Village - Harrai Gujran, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 6/1, 13/1), Village - Harrai Gujran, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP) 1.820 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was scheduled for the presentation but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment desired by the committee during the deliberation. Committee decided to call the PP in subsequent meetings giving last chance and even it the PP remains absent, the case shall be returned to SEIAA assuming that PP is not interested to continue with the project.

15. Case No 9485/2022 Shri Vikram Anjana S/o Shri Mohanlal Anjana R/o Village Kesunda, Tehsil Chhoti Sadri, District Pratapgarh (Raj.)-458110, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (20000 Cum per annum) (Khasra No. 249), Village - Bhimakhedi, Tehsil - Jeeran, Dist. Neemuch (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 249), Village - Bhimakhedi, Tehsil - Jeeran, Dist. Neemuch (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री विक्रम अंजाना (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1126 दिनांक 13/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के दक्षिण पश्चिम दिशा में 435 मीटर की दूरी पर आबादी है तथा प्राकृतिक नाला दक्षिण दिशा में, दक्षिण—पूर्व दिशा में 490 मीटर पर एक तालाब स्थित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 08 पेड लगे है जिसमें से बैरियर झोन पर लगे एक पेड़ को छोड़कर शेष 07 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 70 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—32 के सरल कमांक—2 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 20,000 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.24 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 1.57 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.05 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		राशि रू. में
ग्राम भीमाखेड़ी	के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी		25,000/-
ग्राम भीमाखेड़ी	के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में में रंग रोगन किया जायेगा.		80,000/-
		कुल	1,05,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :--

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	650
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर तक	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	450
3	पट्टा क्षेत्र के अंदर काटे जाने वाले वृक्षों के बदले लगाए जाने वाले पोधो की संख्या ये) पौधे ग्रामभीमाखेड़ी के सरकारी प्राथमिक विद्यालय भवन के प्रांगण में लगाए जायेंग (नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, कदम, आंवला आदि।	70
4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	2430
		कुल	3600

16. Case No 9490/2022 M/s Peetambara Buildcon Pvt. Ltd., Shri Neeraj Sharma, R/o D-25, 524, Suresh Nagar, Thatipur, District Gwalior (MP), Prior Environment Clearance for Khamera Granite Quarry in an area of 1.00 ha. (4260 Cum per annum) (Khasra No. 1997/Min 2), Village - Khamera, Tehsil - Datia, Dist. Datia (MP)

This is case of Granite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1997/Min 2), Village - Khamera, Tehsil - Datia, Dist. Datia (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री नीरज शर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 559 दिनांक 26/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के उत्तर दिशा मे 10 मी. की दुरी पर एंव पश्चिम दिशा मे 25 मी. पर पक्का रोड़ स्थित है जिसके संदर्भ परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड के कारण खनन् क्षेत्र में रोड़ से 40 मीटर एंव 25 मी. तक नॉन माईनिंग जोन छोडा गया है तथा उत्तर पूर्वी दिशा मे 100 मीटर पर आबादी है। लीज क्षेत्र के अंदर खनन कार्य किया जाना दिख रहा है जिस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उक्त खनन प्रास्पेक्टिंग के लिये किया गया था तथा प्रास्पेक्टिंग हेतु पयावरणीय अभिस्वीकृति की आवश्यकता नही है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् वायर—सॉ कटिंग के माध्यम से किया जायेगा तथा ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—37 के सरल क्रमांक—49 पर दर्ज है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिर्कोडेड फॉरेस्ट ऐरिया मेप के अनुसार वन क्षेत्र उत्तर—पश्चिम दिशा में लगभग 210—215 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र (कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दितया द्वारा जारी एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 559 दिनांक 26/07/2022) अनुसार वन मण्डलाधिकारी, दितया के पत्र क्रमांक 281 दिनांक 16/01/15 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में कोई वन क्षेत्र नही है । उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशांसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 210—215 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः संबंधित वन मण्डलाधिकारी से इस स्थिति को स्पष्ट करने बावत् पत्र लिखा जाये ।

17. Case No. – 6639/2019 M/s Om Granite, House No. 1, Didwara, Tehsil - Lavkushnagar, Dist. Chhatarpur, MP Ammendment in Environment Clearance for Stone and M-Sand Mine in an area of 3.20 ha. (1,50,000 cum per annum) (Khasra No. 1881), Village - Mudhara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP).

This is case of Stone Mining and M-Sand plant. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1881), Village - Mudhara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 3.20 Ha. The project requires amendment in EC.

परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में संशोधन बावत् फार्म—4 ऑन लाईन प्रस्तुत किया है जिसमें पूर्व में जारी दिनांक 19/10/20 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति उत्पादन क्षमता स्टोन

−2,50,000 मी.³ प्रति वर्ष के स्थान पर संशोधित उत्पादन क्षमता स्टोन व एम सेंड −1,50,000 मी.³ प्रति वर्ष हेतु अनुरोध किया है ।

आज दिनांक 03/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय जोशी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री सोनकर, मेसर्स एफ.ई.सी.सी.एम., भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि ऑनलाईन प्रस्तुत शपथ—पत्र में परियोजना प्रस्तावक ने यह सूचित किया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, छतरपुर द्वारा पत्र क्रमांक 1640 दिनांक 13/05/21 के माध्यम से खनिज गिट्टी पत्थर के साथ एम सेंड उत्खनन् हेतु अनुमित जारी की गई है तथा संशोधित खनन् योजना का अनुमोदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, जबलपुर के पत्र क्रमांक 1349 दिनांक 11/04/22 के माध्यम से किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने उत्पादन क्षमता स्टोन —2,50,000 मी. प्रति वर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता स्टोन, बोल्डर एवं एम सेंड —1,50,000 मी. प्रति वर्ष हेतु संशोधन करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि आवेदक ने निर्धारित प्रपत्र फार्म—4 में कुछ जानकारियाँ गलत भरी है जिसमें सुधार किया जाना आवश्यक है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार पुनरीक्षित फार्म—4 प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ताकि प्रकरण पर निर्णय लिया जा सके :—

- 1. फार्म-4 के सरल क्रमांक-9 पर Details of Configuration में एम-सेंड / क्रेशर प्लांट का विवरण नही दिया गया है अतः इसको शामिल कर पुनरीक्षित फार्म-4 प्रस्तुत करें ।
- 2. फार्म—4 के सरल कमांक—7 पर पर्यावरणीय स्वीकृति में आवश्यक संशोधन का विवरण अस्पष्ट एवं विरोधाभाषी है, क्योंकि फार्म—4 के सरल कमांक—11 में यह उल्लेखित है कि उत्पादन क्षमता स्टोन —2,50,000 मी.³ प्रति वर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता स्टोन, बोल्डर एवं एम सेंड —1,50,000 मी.³ प्रति वर्ष हेतु संशोधन चाहा गया है, जबिक सरल कमांक—7 पर "the change in EC title. There is no any change in configuration or capacity" अंकित है, अतः पुनरीक्षित फार्म—4 प्रस्तुत करें ।
- 3. फार्म—4 के सरल कमांक—12 पर Details of EIA Consultant में पर्यावरणीय सलाहकार को नहीं लिया जाना बाताया गया है किंतु फार्म—4 के सरल कमांक—13—ए के साथ संलग्न दस्तावेज में पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स मेसर्स एफ.ई.सी.सी.एम., भोपाल का नाम दिया है अतः इसके संदर्भ में स्पष्टीकरण तथा पुनरीक्षित फार्म—4 प्रस्तुत करें ।
- 4. पूर्व की पर्यावरणीय अभिस्वीकृति दिनांक 23/5/22 को जारी हो गई थी । तत्पश्चात् पर्यावरणीय संरक्षण एवं सीईआर के तहत् किए गए कार्यों का व्यौरा दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. पर्योवरणीय अभिस्वीकृति दिनांक 19/10/20 के संदर्भ में फार्म—4 के सरल क्रमांक—6 Details of Consent to Operate में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सी.टी.ओ. में उल्लेखित क्षमता माईनिंग आफ स्टोन बोल्डर—2,75,000 घनमीटर/वर्ष प्राप्त की है जो फार्म—4 के सरल क्रमांक—5 Details of Environmental Clearance में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में स्वीकृत उत्पादन क्षमता— स्टोन—2,50,000 घनमीटर/वर्ष से अधिक है, अतः इसका कारण स्पष्ट करें।

सेक द्वारा 602वीं बैठक दिनांक 03/11/22 को जारी किये गये एडीएस के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/12/22 को बिन्दुवार जानकारी ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई अतएव इस प्रकरण को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिध श्री अनूप गुप्ता और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री सोनकर, मेसर्स एफ.ई.सी.सी.एम., भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा फर्मा—4 में संशोधित जानकारी अपलोड कर दी गई है तथा उनके द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण हेतु खदान के पास स्थित तालाब के आसपास एवं खनन् क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि पूर्व की पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में निहित विशिष्ट शर्त के बिन्दु क्रमांक 8 के परिपालन मे पर्यावरणीय संरक्षण जिसमें मुख्यतः वृक्षारोपण के अंर्तगत लीज क्षेत्र में 3600 पौधे एंव गांव मुधारा मे 3000 पौधे लगाये जाने थे जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर से उपस्थित पर्यावरण सलाहकार कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज जैसे: ग्रामसभा/सरपंच का प्रमाण—पत्र, क्रय किए गए पौधों बिल इत्यादि की जानकारी प्रस्तुत नही कर सके। अतः समिति ने चर्चाकर निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर से उक्त खदान का स्थल निरीक्षण करते हुए पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में निहित शर्तों के संबंध का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये।

18. Case No 9378/2022 M/s Perfect Tar Coat Pvt. Ltd, Shri Sohail Ali Khan S/o Shri Mansoor Ali Khan, Director, 778, Napiar Town, Dist. Jabalpur, MP - 482001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (53,000 Cum per annum) (Khasra No. 98/1), Village - Dobhi, Tehsil - Narayanganj, Dist. Mandla (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 98/1), Village - Dobhi, Tehsil - Narayanganj, Dist. Mandla (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

पूर्व में यह प्रकरण सेक की 604वीं बैठक दिनांक 05/11/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सोहेल अली खान (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स काग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1425 दिनांक 13/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिर्कोडेड फॉरेस्ट ऐरिया मेप के अनुसार वन क्षेत्र लगभग 220 से 230 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र (कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1425 दिनांक 13/09/2022) अनुसार वन मण्डलाधिकारी के पत्र क्रमांक 1249 दिनांक 17/06/22 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में कोई वन क्षेत्र नहीं है । उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशांसा है

कि चूंकि परिवेश पर अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 220 से 230 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः संबंधित वन मण्डलाधिकारी से इस स्थिति स्पष्ट करने बावत् पत्र लिखा जाये । समिति की यह भी अनुशांसा है कि सिया द्वारा जो एकल—प्रमाणपत्र का प्रारूप दिया गया है उसमें डी.एफ.ओ. से यह स्पष्ट उल्लेख करवाया जाये कि प्रस्तावित खदान वन क्षेत्र से कितनी दूरी पर स्थित है एवं यदि खदान अधिसूचित ई.एस.जेड. के पास स्थित है तो वह ई.एस.जेड. से कितनी दूरी पर है तथा अधिसूचित ई.एस.जेड की सीमा से बाहर है ताकि प्रकरणों के निराकरण में सुविधा हो।

चूंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30 दिनों तक जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण डिलिस्ट किये जाने हेतु प्रकरण एजेण्डा में सूचीबद्ध किया गया है, जिस सदंर्भ में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स काग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए। पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा परिवेश—2 पोर्टल लॉच किया गया है, जिसमें कुछ किनाईयाँ आने के कारण अभी ऑनलाईन जानकारी अपलोड नहीं कर पा रहे है, अतः उन्हें कुछ समय और दिया जाये, क्योंकि उनके द्वारा इस संबंध में परिवेश पोर्टल के संबंधित अधिकारी से दुरभाष / ई—मेल से सम्पर्क करने पर उक्त संबंध में शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया गया है तथा वांछित जानकारी ई—मेल के माध्यम से सेक कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है। अतः उनके प्रकरण को डिलिस्ट न करते हुये 15 दिवस का समय और दिया जावें । सिमित ने परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये 15 दिवस का समय दिया जाने का निर्णय लिया।

19. Case No 9361/2022 M/s Prakash Stone Industries, Shri Jay Prakash Agrawal, Jaitahari, DIst. Anuppur, MP - 484330 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.089 ha. (25000 Cum per annum) (Khasra No. 512/8/KA, 543/1), Village - Majhgawan, Tehsil - Pushprajgarh, Dist. Anuppur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 512/8/KA, 543/1), Village - Majhgawan, Tehsil - Pushprajgarh, Dist. Anuppur (MP) 3.089 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

पूर्व में यह प्रकरण सेक की 602वीं बैठक दिनांक 03/11/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री जयप्रकाश अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स काग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 261 दिनांक 17/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई 01 अन्य खदान 2002 से 2012 तक संचालित थी, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है इस अब कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार एकल प्रमाण पत्र में यह उल्लेखित है कि आवेदित खसरा वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 260 के मूनारा क्रमांक—79 से 512 मीटर

की दूरी पर स्थित है तथा ग्राम मझगवां अचानकमार अमरकंटक वायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र के 97 ग्रामों की सूची में शामिल है। तत्संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि खनिज अधिकारी, जिला अनूपपुर ने पत्र क्रमांक 1084 दिनांक 03/06/22 के माध्यम से यह सूचित किया है कि अचानकमार अमरकंटक वायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में 15 क्रशर आधारित उत्खनिपट्टा की खदानें संचालित है तथा वर्तमान में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि चूंकि प्रकरण वायोस्फियर रिजर्व से संबंधित है, अतः सेक द्वारा इस प्रकरण में संबंधित वन मण्डलाधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये कि क्या इस आवंटित क्षेत्र में खनन् करने से उन्हें कोई आपत्ति है अथवा नहीं।

सेक द्वारा 602वीं बैठक दिनांक 03/11/22 को जारी किये गये एडीएस के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/12/22 को बिन्दुवार जानकारी ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई। आज दिनांक 23/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री जयप्रकाश अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स काग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वन मण्डलाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 419 दिनांक 30/01/22 में कोई आपत्ति नहीं ली है तथा बताया कि एक अन्य प्रकरण में पूर्व प्रभारी अधिकारी, पर्यावरण नियोजना एवं समन्वय संगठन द्वारा जारी पत्र क्रमांक 500 दिनांक 28/04/2011 में यह उल्लेखित किया है कि "बायोस्फियर रिजर्व एक कॉन्सेप्ट है, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है" अतः हमारे प्रकरण में इस आधार पर हमको अनुमति प्रदान की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये ए.डी.एस के उत्तर के संबंध में परीक्षण उपरांत समिति की अनुशंसा है कि बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में अंतिम निर्णय सिया द्वारा वर्तमान में जारी दिशा—निर्देशों एवं स्थल विशेष के अनुसार लिया जाये तथा इस प्रकरण को पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पिश्चम दिशा में लगभग 215 मीटर तथा पूर्व दिशा में 215 मीटर पर आबादी, उत्तर—पिश्चम दिशा में 185 मीटर तथा उत्तर दिशा में 25 मीटर की दूरी पर कच्चा रास्ता है । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 04 पेड़ लगे है, जिसके संदर्भ में पिरयोजना प्रस्तावक ने बताया कि 01 पेड़ बैरियर जोन में होने के कारण तथा अन्य 03 पेड़ एक ही स्थान पर लगे होने के कारण काटे नहीं जायेगे तथा वहां पर साईट आफिस एवं सुविधाओं का विकास किया जायेगा । । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि अनूपपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—41 के सरल क्रमांक 13 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से सिमिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 25,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.97 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.85 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 03.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

	B. FOR SOCIAL WELFARE (Please provide physical targets only) As per MoEF&CC OM dated 25/02/21				
S. No.	S. No. Activity				
1.	05 LPG gas Cylinder (@5000/-) to mine workers.	25,000/-			
2.	2. 800 Fruit Bearing Plants (@50/-) (Aonla, Mango, Munga, Kathal, Imli, Guava, Papaya, Lemon, Harra, Bahera, Jamun) will be distribute in one year in village Majhgawan. (This activity will be done under the "Ankur Yojana" of the Government of Madhya Pradesh.				
3.	Every year two awareness cum medical camp will be organized in grampanchayat Majhgawan for general medical examination of villagers specifically for Malaria diabetes, blood pressure & during this camp awareness will also be made for oral hygiene.				
4.	We will adopt Anganwadi of village Majhgawan for one year and will bear its expenses.	1,00,000/-			
5.	One smart class and a library will be constructed in the Government School of Gram Panchayat Majhgawan.	1,00,000/-			
6	Distribution of Mask & Sanitizer in Gram panchayat Majhgawan .	10,000/-			
	TOTAL	3,25,000			

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Total no. of sapling:- 4000 within 1 years Plantation will be carried out through DFO, Anuppur.

Year	Name of Tree	No. of Plants	Location
1 st Year	Neem, Khamir, Karanj, Bargad, Mahua, Imli, Sitafal, Katang Bamboo, Chirol, Babool etc.	2900	In the first year, 2900 Dominant plants will be planted in a row around the 7.5 meter barrier zone area(5240 sqm) of the mining area & seed (Neem & Babool) sowing in the barrier zone as suggested by the committee. (Plantation Size 60cm x 60cm)
	Aonla, Mango, Munga, Kathal, Imli, Guava, Papaya, Lemon, Harra, Bahera, Jamun, etc.	800	800 fruit bearing trees will be distributed in one year of village Majhgawan. (This activity will be done under the "Ankur Yojana" of the Government of Madhya Pradesh).

300 nos. Shade Trees - Kadam, Jungal Jalebi, Karanj, Khamir, Amla, Chirol, Kanak Champa, Khajur, Bel, etc.	300	Approach Road and Village road, Local Pond/ Nala/Canal/River site
Total	4000	

20. <u>Cases where PP has not submitted the desired information/pending since long/remains absent from the SEAC meeting:</u>

Following cases were appraised in various SEAC meetings wherein online query/clarification was sought from PP but even after 30 days reply/response from the PP is awaited:

SN	Case No. Activity	SEAC Meeting details in which query/clarification was sought from PP.
1.	Case No 9364/2022 Shri Navneet Chouksey S/o Shri Tulsiram Chouksey, Parasia, DIst. Chhindwara, MP - 480441, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (5016 Cum per annum) (Khasra No. 1/18), Village - Gajandoh, Tehsil - Umreth, Dist. Chhindwara	Q- 602nd dated 03/11/2022
2.	Case No 9386/2022 M/s Sharma Associates, Shri Dinesh Sen S/o Shri Halke Prasad Sen, Prop., Devri Rajmarg, Dist. Narsinghpur, MP - 487330, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.0 ha. (30000 Cum per annum) (Khasra No. 01), Village - Chhituraha, Tehsil - Patan, Dist. Jabalpur (MP) [403365]	Q- 603nd dated 04/11/2022
3.	Case No 8919/2022 M/s Yash Logistic Private Limited, 'Yash Tower', Pathak Ward, Dist. Katni, MP - 483501, Prior Environment Clearance for Bauxite Quarry in an area of 20.151 ha. (Bauxite - 9781 Tonne per annum, Soil - 4100 cum per annum, Void - 7897 cum per annum) (Khasra No. 156, 159, 160, 161, 162/1, 162/2, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165, 166, 167, 168, 169/1, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 189, 234/1, 234/2, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 372, 249), Village - Baghreli Saani, Tehsil - Bajag, Dist. Dindori (MP) [69310] (EIA)	Q- 604nd dated 05/11/2022
4.	Case No 9329/2022 M/s Vini Industries Private Limited, Shri Alpesh Patel, Managing Director, Plot No. 125, AKVN Industrial Estate, Tehsil - Meghnagar, Dist. Jhabua, MP, Prior Environment Clearance for expansion of existing dye and dye intermediates unit at Plot No. 125, AKVN Industrial Estate, Meghnagar, Dist. Jhabua, MP [82967] (TOR)	TOR- 597nd dated 06/10/22 (Site Visit)
5.	Case No 8934/2022 Shri Veer Vikram Singh, Bhanu Palace, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh, MP, SIA/MP/MIN/68109/2021 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (25050 cum per annum) (Khasra No. 507/2), Village - Jamonya Johar, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh (MP) [68109] (EIA)	Q- 604nd dated 05/11/2022
6.	Case No 8769/2021 M/s Wonder Cement Ltd, Shri P.Patidar, Director, 17, Old Fatehpura, Seva Mandir, Dist. Udaipur, Raj 313004, SIA/MP/MIN/59543/2021 Prior Environment Clearance for Expansion in Limestone Quarry in an area of 44.293 ha. (Limestone - 200000 Tonne per annum, Sub Grade / Screen Reject - 15055 Tonne per annum) (Khasra No. 1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4/1, 4/4/2, 4/4/3, 4/4/4, 4/4/5, 4/5, 30, 37, 40/1, 41/1, 41/2, 42/1, 44, 45, 46, 47, 48), Village - Kosdana, Tehsil - Gandhwani, Dist. Dhar (MP) [59543]	Q -606 dated 14/11/22
7.	Case No 9401/2022 M/s Badwar Maouganj Road Project Pvt. Ltd, Director, Shri Sanjar	Q- 606nd dated

Singh, 1180, University Road, South Civil Line, Dist. Jabalpur, MP - 482002, Prior	14/11/2022
Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.50 ha. (194356 Cum per annum)	
(Khasra No. 444(P)), Village - Amiliha, Tehsil - Gurh, Dist. Rewa (MP) [401848]	

Committee observed that PP of above cases have not submitted the desired information and cases are pending since long. In the entire above cases online query was raised through EDS. As per MoEF&CC OM dated 15/03/21 if:

"the reply to EDS is not received on PARIVESH within 30 days, the proposal will be excluded from the pendency list shown on PARIVESH. However, the PP can relist the proposal through their respective login provisions, as and when they want to submit the EDS reply".

Recently, SEIAA vide letter no. 2590 dated 15/12/21 has communicated policy decision taken in their 694th meeting dated 26/11/2. According to the policy decision taken by SEIAA at point no.08 (SEAC should make final recommendations within 30 days for EC/TOR).

The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

21. <u>डब्लू.पी. (सी) कमांक 113309/2022 मिहिर मित्रा बनाम् यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण में</u> टिप्पणी

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. से प्राप्त पत्र क्रमांक 2353 दिनांक 14/12/22 के द्वारा मिहिर मित्रा बनाम् यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण में (डब्लू.पी. (सी) क्रमांक 113309/2022) सेक का अभिमत निर्धारित प्रपत्र में चाहा गया है । सदस्यों का अवगत कराया गया कि सेक की 610वी बैठक दिनांक 08/12/22 में यह प्रपत्र चर्चा हेतु सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया गया था । आज समिति की बैठक में उक्त प्रपत्र पर चर्चा हुई, चर्चानुसार जानकारी निर्धारित प्रपत्र में सिया को प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गई :—

S.No.	Issues	Comments
1.	Whether meetings are being conducted in	✓ Yes.
	virtual/hybrid mode. If No, the reason for the	
	same.	
2.	What is the average attendance percentage of the	✓ 50% SEAC Member are attending
	EAC members in online meetings? Has online	meetings online.

	meetings increased the participation rate of the	√	"Yes", online meetings have increased
	EAC members?		the participation.
3.	What is preferred mode for conducting EAC	✓	Virtual/hybrid mode.
	meetings to ensure effective appraisal of project proponents and justification for the same?		
4.	Have the virtual/hybrid meetings reduced coats on the exchequer, if yes details thereof.	√	No
5.	Observations on the representation by the	√	Virtual / Hybrid mode of presentation
	petitioner Mr. Mihir Moitra		shall be permitted.
6.	Additional Remarks if any	√	Presentation of some projects like
			Building Construction, API, River
			Valley, Violation etc., shall be
			conducted in hybrid mode wherein PP
			shall attend meetings online and
			consultant shall present the case before
			the committee.

22. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट इंदौर (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर)

आज दिनांक 23/12/2022 को इंदौर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अवलोकन करने पर समिति ने पाया कि जिले की राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 609 वीं बैठक दिनांक 21/09/22 के परिपालन में पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ई—मेल के माध्यम पत्र क0. 2357 दिनांक 21/12/22 को सेक में प्राप्त हुई है। समिति द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट इंदौर का परीक्षण करने पर यह पाया कि

- 1. चेप्टर 03 के अन्तर्गत पेज न0. 19 से 34 में क्रियाशील एंव अक्रियाशील स्टोन एंव गिट्टी खदानों की संबंधित तालिका मे जो लीजवार खदानों की जानकारी प्रदाय की गयी है वह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुरूप नही है, जानकारी का संकलन 14 बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है एंव प्रस्तुत खदानों की जानकारी नोटिफिकेशन के अनुरूप कम में नही है।
- 2. तालिका के कॉलम 10 के अन्तर्गत "Date of Commencement of Mining Operation" में प्रस्तुत जानकारी अपूर्ण है। इस जानकारी का कई खदानों "Operation" में निरंक दर्शाया है। अतएव इस कॉलम में जानकारी का समावेश करें।
- 3. पेज न0. 72 से 79 के अन्तर्गत खदानवार पौधारोपण की जानकारी में (05 साल में हिरत क्षेत्र विकास की जानकारी) में पौधारोपण की संख्या में संशय की स्थिति दिखाई दे रही है। जैसे सरल क0. 5 के अन्तर्गत खदान का एरिया 2.3 हेक्टेयर है जबिक पौधों की संख्या 950 दर्शायी गयी है जबिक स.क. 8 में 4 हेक्टेयर एरिया में 920 पौधों को बताया है, स.क. 39 में 2.0 हेक्टेयर एरिया में 3000 पौधारोपण दर्शाया है ऐसी विषमता कई खदानों के एरिया में दर्शाये गये पौधारोपण में पायी गयी है। अतएव इसको पुनः अवलोकन कर आवश्यक पुनरीक्षित कर लेवें।

- 4. इसी प्रकार पेज 72 से 79 के अन्तर्गत पौधारोपण की तालिका मे बेरियर जोन के अन्तर्गत पौधारोपण की जानकारी कई जगह पर नहीं दर्शायी गयी है इसको भी पुनः सत्यापित कर जानकारी पुनरीक्षित करें।
- 5. चेप्टर 03 के अन्तर्गत पेज न0. 19 से 29 में कियाशील खदानों की जो जानकारी प्रदाय की गयी है उसके सरल क0. 1,3,18, 28,74 के अन्तर्गत कॉलम न0. 11 में जो अंक्षाश एंव देशांश के आधार पर गूगल इमेज देखने पर पाया गया कि पेज 72 से 79 में दर्शाई गई तालिका अनुसार में पेड़ों की संख्या दिखाई नहीं दे रही है, अतः इस संबंध में उक्त जानकारी को अद्यतन करें।

अतः उपरोक्त विषमता को समिति ने संज्ञान में लेते हुये इस पर अप्रसन्नता प्रकट की एंव संबंधित जिला खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि उपरोक्त जानकारी का शीघ्र अतिशीघ्र समावेश कर संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खनिज अधिकारी राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) के समक्ष स्वंय प्रस्तुत करे ताकि शीघ्र अतिशीघ्र इसका अनुमोदन कर अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा सके।

led the restriction of the first the state before to the three states the first the state of the

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

(चंद्र मोहन ठाकुर) सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3:— पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4 :- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the
 aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said
 purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

- side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
- h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
- i. Minable Potential of sand mine.
- j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतू निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
- नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल		ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र		02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी		03.5 फਿਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)	बनाना		
	तीन वर्षो तक ।			
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।			

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंक्रूरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तूरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षी तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - l. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - o. Minable Potential of sand mine.
 - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
 - नोट 3:- पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिਟ	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फਿਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

• सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3:— पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6 :- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।]	

नोट ७ :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.